महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

Pension14/I/10-11/ दिनांक / Dated : Date: 29.10.2010

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authorities regarding:
(1) G.O Regarding Dearness Relief @35% to Pensioners /Family Pensioners in respect of AIS.
(2) G.O Regarding Clarification of Reommendations of 6th Pay Commission.
(3) G.O. in continuation of above (2) –Reg.

Ref: Office of the Accountant General (A&E) –II UP Special Seal Authorities No:
Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/1024 dated 09-08-10.

* * *

I am herewith enclosing a Special Seal Authorities issued by the Office of the Accountant General (A&E) –II UP in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,
V. Rama Kumari
Accounts Officer 29/10/10

Copy to:
Joint Director,
Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

Asst. Acco

Registered

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/ 1024 **Dated:-** 09.08.10
LID-5077, 5078, 5470 /02

To,

Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh
Saifabad Hydrabad 500004

Subject: - (1) G.O. Regarding Dearness Relief @35% to Pensioners/FPs i.r.o. AIS.

(2) G.O. Regarding Clarification of Recommendations of 6th Pay Commission.

(3) G.O. in continuation of above (2)

Sir,

I am forwarding herewith:-

(1) Copy of GO. Issued by Uttar Pradesh Government Vide No.Sa-3-G.I-14./ दस - 2010-301/2000 Lucknow : Dated : 04th April, 2010 regarding Enhancement of dearness relief from 27% to 35% w.e.f.01-01-2010,in respect of Pensioners/FPs pertaining to All India Services.

(2) G.O. No. Sa-3-1358./ दस -2010 Lucknow : Dated : 19th July, 2010, Clarifying the Para 4(1)(IV) of G.O. No. Sa-3-1515./ दस -2008-308/97 Lucknow : Dated : 08th December, 2008 of 6th pay commission i.r.o U.P. pensioners/FPs who retired before 01-01-2006

(3) G.O. No. Sa-3-685./ दस -2010-208/97/T.C. Lucknow : Dated : 19th July, 2010 further clarifying the above mentioned G.O. dated 08-12-2008.

It is requested that above mentioned Orders may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: As Stated above

Yours faithfully

Sr, Accounts Officer

09

O/o A.G. A&E
UNIQUE No. 5077
Co-ordination
SECTION. P. MISC

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–जी0आई0–14 / दस–2010–301 / 2000
लखनऊ : दिनॉक : 04 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–42 / 18 / 2010– P&PW(G), दिनॉक 31 मार्च, 2010 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को उक्त आदेशानुसार महॅगाई राहत का भुगतान किया जाए।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

DR (SS)
S.S.DA
17
3/8

F. No. 42/18/2010-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date: 31st March 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 1.1.2010.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/12/2009-P&PW(G) dated 23.9.2009 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief payable to Central Government pensioners shall be enhanced from the existing rate of 27% to 35% w.e.f. 1st January, 2010.

2. These orders apply to (i) All Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners (ii) The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates, (iii) All India Service Pensioners (iv) Railway Pensioners and (v) The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan, who are Indian Nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan, who are in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs. 3500/- p.m. in terms of this Department's OM No. 23/1/97-P&PW(B) dated 23.2.1998 read with this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 15.9.2008.

3. Central Government Employees who had drawn lumpsum amount on absorption in a PSU/Autonomous body and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of this Department's OM No. 4/59/97-P&PW (D) dated 14.07.1998 will also be entitled to the payment of DR @ 35% w.e.f. 1.1.2010 on full pension i.e. the revised pension which the absorbed employee would have received on the date of restoration had he not drawn lumpsum payment on absorption and Dearness Pension subject to fulfillment of the conditions laid down in para 5 of the O.M. dated 14.07.98. In this connection, instructions contained in this Department's OM No.4/29/99-P&PW (D) dated. 12.7.2000 refers.

4. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended vide this Department's OM No. F. No. 38/88/2008-P&PW(G) dated 9th July, 2009. The provisions relating to regulation of DR where pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and Authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of above instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the C&AG.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their OM No. 1(4)/EV/2004 dated 31.3.2010.

(V. K. Wadhwa)
Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments to the Government of India/ Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.

Please visit ***http://persmin.nic.in/pension*** *for the orders on pension matters including above orders.*

O/o A.G. A&E II, U.P.
UNIQUE No. 5078
Co-ordination
SECTION

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–1358 / दस–2010
लखनऊ : दिनाँक : 19 जुलाई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप / शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97, दिनाँक 8.12.2008 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय– ज्ञाप के प्रस्तर 4(I)(IV) को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित समझा जाये :–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

2– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड, जैसा कि वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–वे0आ0–2–13400 / दस– 59(एम) / 2008, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहॉ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रूपये 3500 / – प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुये) घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेशंन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)–समस्त, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियॉ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियॉ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1358/दस–2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनॉक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन
1	2	3		4	5	6	7
1	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200–85–4900	5200–20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000–100–6000	5200–20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500–125–7000	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500–125–7250	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000–275–13500	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550–275–14600	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
15	10000–325–15200	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400–525–24500	67000–79000	——	67000	——	67000	33500

टिप्पणी:–

(1)– दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान रू0 2550–3200, रू0 2610–3540 तथा रू0 2650–4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनॉक 01–01–2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग रू0 7000/– से कम होने के कारण, इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन स्वतः रू0 3500/– प्रति माह निर्धारित होगी।

(2)–वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त, जहॉ किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहॉ ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रमावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा।

I/o A.G. A&E-II, U.P.
UNIT No. 5470
Co-ordination
SECTION. P MISC

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या : सा–3–685/दस–2010–308/97टीसी
लखनऊ : दिनाँक : 19 जुलाई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है ।

दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान में संशोधन विषयक वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 द्वारा निर्गत आदेश संख्या–वे.आ.–2–287/दस–59(एम)/2006, दिनाँक 16 मार्च, 2010 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व, वेतनमान 22400–24500 में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों की पेंशन दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से, सदृश वेतनमान रुपये 67000–79000 में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत, अर्थात् रुपये 33,500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी । इसी प्रकार दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व उक्त वेतनमान से सेवानिवृत्त / मृत राज्यकर्मी की पारिवारिक पेंशन दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान रुपये 67,000–79000 के न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत, अर्थात् रुपये 20,100 प्रतिमाह से कम नहीं होगी । अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 1515/दस–2008–308/97 दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये रेडीरेक्नर के अनुसार, ऐसे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उक्त न्यूनतम राशियों में से जो अधिक हो वही राशि दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी । प्रतिबंध यह होगा कि जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम हो, ऐसे मामलों में पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी ।

संलग्नक : यथोपरि ।

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या : सा–3–685(1)/दस–2010–308/97टीसी, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/उत्तराखण्ड ।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
5– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
6– समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश ।
8– सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–वे0आ0–2–287/दस–59(एम)/08

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा कतिपय वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णयों के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4(रु0 37400–67000) एवं ग्रेड वेतन रू0 12000/– के स्थान पर वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।

(2) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800) में ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।

2-- उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं तदनुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरुप देय अवशेष,

यदि कोई हो, का भुगतान शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/ दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

3– उपर्युक्तानुसार वेतन बैण्ड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4– उपर्युक्त शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–287(1)/दस–59(एम)/08, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)–I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 119 सा0वित्त–19–03–2010–(2587)–5,000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।